भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3497
17 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: एग्री-श्योर फंड के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र

3497. श्री पी.वी.मिधुन रेड्डी:
श्री मितेश पटेल (बकाभाई):
श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल:
डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) एग्री-श्योर फंड द्वारा कृषि स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए लक्षित विशिष्ट उद्देश्यों और क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार की यह सुनिश्चित करने के लिए क्या योजना है कि इस निधि के माध्यम से नवीन और वहनीय कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जाए;
(ग) क्या आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों, जिनका ग्रामीण और कृषि आधार काफी अधिक है, में इस निधि के अंतर्गत सहायता हेतु आवेदन करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए कोई विशिष्ट मानदण्ड या प्रोत्साहन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में एग्रीटेक स्टार्टअप्स और एग्रीउद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए आगामी एग्री-श्योर फंड का बजट आबंटन कितना है;
(ड.) एग्रीटेक क्षेत्र में विकास और नवाचार पर प्रभाव के साथ-साथ इस निधि से एग्रीटेक स्टार्टअप्स और उद्यमियों के लाभान्वित होने की संभावना के संबंध में आंकड़े क्या हैं; और
(च) क्या सरकार ने दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रहे स्टार्टअप्स के पुनरूद्धार के लिए कोई निधि शुरू करने की योजना बनाई है जो कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
<u>कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)</u>

(क) एवं (ख): एग्रीश्योर फंड का उद्देश्य इक्विटी और ऋण में पूंजी सहायता प्रदान करके शुरुआती चरण के कृषि-स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों की सहायता करना है। इसके विशिष्ट उद्देश्यों में नवाचार को बढ़ावा देना, उच्च जोखिम और उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा ए°आई, प्रीसिजन फ़ार्मिंग , जलवायु-अनुकूल समाधान और डिजिटल कृषि जैसी तकनीकों को आगे बढ़ाना शामिल है। यह फंड किसानों की बाजार पहुंच में सुधार और ग्रामीण रोजगार के अवसर का सृजन करना भी चाहता है। इसके लक्षित क्षेत्रों में कृषि-तकनीक, फूड प्रोसेसिंग, पशु-पालन, मत्स्य-पालन, कृषि मशीनीकरण, जैव प्रौद्योगिकी, अपशिष्ट प्रबंधन, रेनीवेबल एनर्जि, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और सहकारी तथा किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) विकास शामिल हैं। चूंकि फंड का उद्देश्य प्रीसिजन फ़ार्मिंग, ए°आई अनुप्रयोगों और स्वचालित खेती जैसी उन्नत पद्धतियों का समर्थन करना और अपशिष्ट/अवशेष प्रबंधन, रेनीवेबल एनर्जि एवं जैव प्रौद्योगिकी में निवेश को सुविधाजनक बनाना है, इसलिए यह पर्यावरण और स्थिरता लक्ष्यों के साथ जुड़े जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देगा।

(ग): इस कोष के अंतर्गत स्टार्टअप्स के लिए की जाने वाली सहायता का मानदंड पूरे देश में एक समान हैं।

(घ): एग्रीश्योर के लिए कुल परिव्यय 750 करोड़ रुपये का है। आंध्र प्रदेश सहित देश-भर में कोई भी पात्र कृषि स्टार्टअप निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए फंड से निर्धारित सीमा तक सहायता प्राप्त कर सकता है।

(ङ): कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कार्यरत सभी प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप इस फंड के तहत सहायता हेतु आवेदन करने के पात्र हैं।

यह फंड न केवल एग्री टेक सेक्टर में स्टार्टअप्स को प्रत्यक्ष इक्विटी सहायता प्रदान करेगा, बल्कि उद्योग में अन्य वैकल्पिक निवेश फंडों (एआईएफ) को इस क्षेत्र में निवेश करने और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अभिनव, प्रौद्योगिकी संचालित, उच्च जोखिम, उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों का समर्थन करने के लिए प्रेरित करेगा। इससे कृषि में नई प्रौद्योगिकियों में निवेश को आवश्यक प्रोत्साहन मिलेगा ताकि कृषि किसानों एवं नए उद्यमियों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प बन सके।

(च): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पास ऐसी कोई योजना नहीं है।

****